

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रमचन्द्र बनाम मरुणा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 194/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>प्रमचन्द्र</u></p> <p>पिता श्री <u>भवेर लाल डांगी</u></p> <p>निवासी <u>गिलुड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>अरीयों का खेडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>51 54</u></p> <p><u>57 58 60</u> <u>0.5200 0.2800</u></p> <p><u>0.2900 0.0500 0.0400</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> कुल रकबा <u>1.1800</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p><u>अरीयों का खेडा (प० ह० गिलुड)</u></p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>अरीयों का खेडा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>51, 54, 57, 58, 60</u></p> <p><u>0.52 0.28 0.29 0.05 0.04</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>1.1800</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार 2000</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p><u>प्रमचन्द्र खटीक</u> सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>